



**विक्रय-पत्र**

145698

भूखण्ड का मूल्य : 9,68,000/-

स्टाम्प = 20000 X 2 = 40000/-

टिकिट = 5000 X 1 = 5000/-

= 1000 X 3 = 3000/-

योग = 48000/-

नाम विक्रेता :-

सोनाराम पुत्र श्री चन्द्राराम सैनी उम्र 80 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रूडमल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 527 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 2492 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का विक्रय किया गया है। जिसकी नाम व सीमाएँ संलग्न नक्शे में अंकित है।
2. विक्रय भूखण्ड ग्राम मानपुरा के ख.नं. 72/2/1 पैराफेरी क्षेत्र में सड़क के पीछे स्थित है।
3. विक्रय भूखण्ड मौके पर खाली है, कोई निर्माण नहीं है।

सोनाराम

हरलाल सैनी  
अध्यक्ष

संगतार

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान  
मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना

1887  
31-12-12

सोनाराम, पुत्र श्री-... जाति माली निचामी मानपुरा लखीमनपुर

10000x3, 20000x2, 15000x1 = 480000/-

राज्य माली  
स्टाम्प नंबर  
सा. नं. 04/08  
31/12/12

दिनांक 31.12.12 का 11 सि 31/12  
श्री सोनाराम ... को उप पंजीयक जीत का पाली  
के समस्त कार्यालय दायरे में ...  
श्री सोनाराम ... पंजीयक ... 80  
जाति माली काक्ष मानपुरा  
इतिवत्

अधिकार प्रत्येककर्ता  
उप पंजीयक जीत का पाली

सोनाराम

पंजीयन शुल्क 960 प्रति लिपि शुल्क 300  
इन्डरसमेट शुल्क 100 अन्य शुल्क सह 4850  
कमी मुद्रांक 430 कुल योग 15530  
रसीद संख्या R-38 दिनांक 31.12.12  
3740

उप पंजीयक निमकाथाना

सोनाराम



श्री सोनाराम  
पंजीयक  
उप 80 जाति माली  
निवासी मानपुरा  
पुन व समेत कर निष्पादन शुल्क ... किया तब  
इतिवत् को राशि ...  
रुके रु० 968000 श्री लख अ. अ. र. ...  
इत्यथ प्रतीकृत किया

उप पंजीयक जीत का पाली



11211

राजस्थान RAJASTHAN

145699



4. विक्रय भूखण्ड स्थानीय निकाय एवं सरकारी भूमि में नहीं है।
5. विक्रय भूखण्ड शिक्षण संस्थान प्रयोजनाथ है।
6. फोटो कॉपी पट्टा, नजरी नक्शा, घोषणा पत्र, फोटो संलग्न हैं।

**विशद विवरण :-** मैं सोनाराम पुत्र श्री चन्द्राराम सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) का रहने वाला हूँ नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 527 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 2492 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का पट्टा मुझ विक्रेता के नाम से है। जिस पर मैं विक्रेता मालिक काबिज हूँ। मैंने मेरे उक्त भूखण्ड पट्टा का पंजीयन दिनांक 10.06.2008 पुस्तक संख्या 1, भाग 225 के पृष्ठ नं. 29, क्रमांक 1534 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 221, पृष्ठ संख्या 72 से 73 पर चस्था किया गया इस प्रकार उक्त पट्टा भूखण्ड की मैं विक्रेता मात्र मालिक काबिज हूँ। उक्त पट्टा भूखण्ड को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण अधिकार है। मुझ विक्रेता को पारिवारिक कार्यवश रूपयो की आवश्यकता होने के कारण मैंने मेरे उपरोक्त वर्णित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 2492 वर्गगज का विक्रय उपरोक्त क्रेता संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुड़मल यादव जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) से कीमत राशि 9,68,000/- रुपये अंकेही नो लाख अडसठ हजार रुपये नगद प्राप्त करके विक्रय कर दिया है। कब्जा मौके पर उपरोक्त क्रेता का भूखण्ड पर करा दिया है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के जो अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार क्रेता को प्राप्त हो चुके हैं। विक्रय भूखण्ड सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त हैं, कोई भार बाकी नहीं है। अब इस विक्रय किये गये भूखण्ड पर मुझ विक्रेता एवं मेरे वारिसान का कोई हक उन्न नहीं रहा तथा भविष्य में भी नहीं होगा। क्रेता उक्त भूखण्ड अपने नाम पट्टा अमल अपने नाम करावे, रहन करे, विक्रय करे, निर्माण करावे, अपने शिक्षण संस्थान के उद्देश्य

सोना राम

हरलाल सैनी  
अध्यक्ष

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान

लम्बदार 3

सचिव

1887  
 31-12-12 <sup>1000X5, 200000 X 2, 15,000 X 1</sup> = 48000/-

राजस्थान  
 राजपूताना  
 स्टाम्प डेप्टर  
 ला. नं. 04/08  
 गीर जिल्ला  
 31/12/12

निर्धारित करदाता है कि (1) का  
 सी. नं. 1240/53  
 जलराय  
 मानपुरा  
 जलराय  
 मानपुरा

एक संबंधित वीच का बाल


जलराय

*(Signature)*



31-12-12  
 339 के पृष्ठ सं. 67... (629)  
 एक संबंधित वीच  
 335 पृष्ठ सं. 208-207 (205-207)

की पूर्ति के उपयोग-उपभोग में लेवे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि इस विक्रय भूखण्ड का विक्रय के कारण कोई विवाद पैदा हो जावे, उपरोक्त भूखण्ड क्रेता के अधिकार से निकल जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी। विवाद की स्थिति में दिनांक 03.06.2008 पट्टा निर्णायक रहेगा। भूखण्ड का नजरी नक्शा इस प्रकार है :-



अतः यह आवासीय भूखण्ड का विक्रय पत्र मैंने पूर्ण होश हवास से बिना किसी नशा पता के सोच समझ कर पढ़ा सुना जाकर विक्रय राशि सम्पूर्ण नगद प्राप्त करके गवाहान की मौजूदगी में लिख दिया है। जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।  
दिनांक : 31.12.2012

यह लेख मेरे द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया गया है।

(हस्ताक्षर संधारकता)

स्थान : नीमकाथाना  
हस्ताक्षर क्रेता  
अध्यक्ष

पत्र संख्या 10/2807

हस्ताक्षर विक्रेता

संत श्याम शरण विद्यालय नीमकाथाना  
पिन 332713  
जिला सीकर

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

हस्ताक्षर गवाहान:

1. जैलाराम सैनी पुत्र श्री सोनाराम सैनी उम्र 53 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

2. रणजीत पुत्र श्री जैलाराम सैनी उम्र 30 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)



नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रूड़मल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

3. दस्तावेज की किस्म : विक्रय-पत्र

4. मालियत : 9,68,000/-

5. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 527 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 2492 वर्गगज



हस्ताक्षर क्रेता  
हरलाल सैनी

  
  
सचिव  
संत राधा रमण शिक्षण संस्थान

सोहनलाल  
हस्ताक्षर विक्रेता

नम्बर रसीद संख्या .....

238/3740

7619

(प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम श्री नारायण 860
  2. लेख्य-पत्र की किस्म क. प्रारम्भिक प्रमाण
  3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई १० मानक
  4. प्रतिलिपि की रकम १०००
- क. फीस रजिस्ट्री :
- |   |        |         |
|---|--------|---------|
| (1) साधारण फीस रजिस्ट्री  | 968500 | 9690    |
| (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस  |        | 300     |
| (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस   |        | 300     |
| ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस   |        |         |
| ग. विविध फीस :  |        |         |
| (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस  |        |         |
| (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस   |        |         |
| (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस |        | 43 430  |
| (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता   |        |         |
| (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस  |        |         |
| (6) संरक्षण फीस   |        |         |
| (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस                                     |        | र. 4850 |
| (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस  |        |         |
| (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)                                     |        |         |

६५३६६०० योग फीस 15570

फीस के प्राप्त होने की तारीख 31/12/14  
लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलार संशुद्धि पत्र के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख 31/12/14

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर प. पी. पी. पी.  
नीमगाथाना (सीकर)



राजस्थान RAJASTHAN

विक्रय-पत्र

145648

भूखण्ड का मूल्य : 4,00,000/-

स्टाम्प = 20000 X 1 = 20000/-

नाम विक्रेता :-

कृष्णा देवी पत्नी श्री मखनलाल सैनी उम्र 42 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रूडमल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 528 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1598 वर्गज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का विक्रय किया गया है। जिसकी नाम व सीमाएँ संलग्न नक्शे में अंकित है।

१०/०॥



हरलाल सैनी  
11/11/08  
संत राधा रमण शिक्षण संस्थान  
नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)  
332713

लगावत्र 2  
सचिव  
शिक्षण संस्थान



106  
20000) शुभमंटे Auto man... 31-12-12

29

31-12-12  
सताश खण्डेलावाल  
स्टाम्प वेण्डर 1  
ला नं. RJ/89 नीमकाथान

31.12.12 का 11 से 3 PM  
वार सोमवार को उप पंजीयक नीम का थान  
के लक्ष्य कार्यालय धरना मकान में  
बी प्रो. कृष्णा देवी W/o मकरवल लाल देवी प 2  
जाति माली निवासी मानपुरा  
के द्वारा केनाभा

पंजीयक (उप-निर्वाहक)

उप पंजीयक नीम का थान

शुद्ध 11



पंजीयक शुल्क 4028 प्रतिनिधि शुल्क 3000  
इन्डरमार्गेन शुल्क 300 अन्य शुल्क सर 2010  
कर्म शुल्क 70 कुल योग 6700  
वकील सरका R 38 दिनांक 31.12.12  
3739

उप पंजीयक नीमकाथान

पुत्र बी. माली कृष्णा देवी W/o मकरवल लाल देवी  
प 2 जाति माली व्यवसाय  
निवासी मानपुरा के दस्तावेज केनाभा को पड़कर  
सुन व समय कर निष्पादन करना स्वीकार किया तथा  
दस्तावेज की राशि रुपये 400000/- पर लाकर माली  
के पास कर पूर्व में को

उप पंजीयक नीमकाथान

शुद्ध 11



2. विक्रय भूखण्ड ग्राम मानपुरा के ख.न. 72/2/1 पराफरा क्षेत्र में सड़क के पीछे स्थित है।
3. विक्रय भूखण्ड मौके पर खाली है, कोई निर्माण नहीं है।
4. विक्रय भूखण्ड स्थानीय निकाय एवं सरकारी भूमि में नहीं हैं।
5. विक्रय भूखण्ड शिक्षण संस्थान प्रयोजनाथ है।
6. फोटो कॉपी पट्टा, नजरी नक्शा, घोषणा पत्र, फोटो संलग्न हैं।

विशद विवरण :- मैं कृष्णा देवी पत्नी श्री मक्खनलाल सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) की रहने वाली हूँ नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 528 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1598 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का पट्टा मुझ विक्रेता के नाम से है। जिस पर मैं विक्रेता मालिक काबिज हूँ। मैंने मेरे उक्त भूखण्ड का पट्टा पंजीयन दिनांक 10.06.2008 पुस्तक संख्या 1, भाग 225 के पृष्ठ नं. 28, क्रमांक 1533 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 221, पृष्ठ संख्या 70 से 71 पर चर्पा किया गया इस प्रकार उक्त पट्टा भूखण्ड की मैं विक्रेता मात्र मालिक काबिज हूँ। उक्त पट्टा भूखण्ड को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण अधिकार है। मुझ विक्रेता को पारिवारिक कार्यवश रूपयो की आवश्यकता होने के कारण मैंने मेरे उपरोक्त वर्णित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1598 वर्गगज का विक्रय उपरोक्त क्रेता संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुड़मल यादव जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) से कीमत राशि 4,00,000/- रुपये अंकेही चार लाख रुपये नगद प्राप्त करके विक्रय कर दिया है। कब्जा मौके पर उपरोक्त क्रेता का भूखण्ड पर करा दिया है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के जो अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार क्रेता को प्राप्त हो चुके हैं। विक्रय भूखण्ड सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त हैं, कोई भार बाकी नहीं है। अब इस विक्रय किये गये भूखण्ड पर मुझ विक्रेता एवं मेरे वारिसान का कोई हक उज्र नहीं रहा तथा भविष्य में भी नहीं होगा। क्रेता उक्त भूखण्ड अपने नाम पट्टा अमल अपने नाम करावे, रहन करे, विक्रय करे, निर्माण करावे, अपने शिक्षण संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति के उपयोग-उपभोग में लेवे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि इस विक्रय भूखण्ड का विक्रय के कारण कोई विवाद पैदा हो जावे, उपरोक्त भूखण्ड क्रेता के

लगातार 3

कृष्णा देवी

९ अगस्त २००८

1. मैं शिक्षा लाने के लिए मैंने एक बच्चे को भेजा है

2. मैं शिक्षा में भी कुछ दिखाना है और मैंने एक बच्चे को भेजा है

3. मैंने एक बच्चे को भेजा है

4. मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है (1) या जेलिया  
 नाम अनाशयिका उम्र 53 नगर माली  
 पता राजपुर निवासी मानपुरा तवा (2)  
 पता माली पुत्र जेलिया उम्र 30  
 निवासी मानपुरा

वह बच्चा एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है

मैंने एक बच्चे को भेजा है



जेलिया

Re

1

31-12-12

उम्र 339 पुत्र सं. 66 नगर 6290

पता 1 निवासी 335 पुत्र सं. 202-204

Re

[Handwritten signature]

14/12/12

11/12/12

अधिकार से निकल जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी। विवाद की स्थिति में दिनांक 03.06.2008 पट्टा निर्णायक रहेगा। भूखण्ड का नजरी नक्शा इस प्रकार है :-



10 फुट चौड़ा रास्ता

59 फुट

सोनाराम सैनी का प्लॉट

242 फुट 6 इंच

भूखण्ड कुल  
क्षेत्रफल 1598 वर्गगज

59 फुट

242 फुट 6 इंच

सोनाराम सैनी की कृषि भूमि

सोनाराम सैनी की कृषि भूमि



अतः यह आवासीय भूखण्ड का विक्रय पत्र मैंने पूर्ण होश हवास से बिना किसी नशा पता के सोच समझ कर पढ़ा सुना जाकर विक्रय राशि सम्पूर्ण नगद प्राप्त करके गवाहान की मौजूदगी में लिख दिया है। जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।  
दिनांक : 31.12.2012 पीर 100/-

यह लेख मेरे द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया गया है।

*(हस्ताक्षर तैयारकर्ता)*

स्थान : नीमकाथाना  
हस्ताक्षर क्रेता

*(हस्ताक्षर क्रेता)*

संत रामा पटेल, जिला न्यायालय  
मानपुरा तन नीमकाथाना  
जिला सीकर 332713

हस्ताक्षर गवाहान:

हस्ताक्षर विक्रेता

*(हस्ताक्षर विक्रेता)*

संत रामा पटेल, जिला न्यायालय  
मानपुरा तन नीमकाथाना  
जिला सीकर 332713

1. जैलाराम सैनी पुत्र श्री सोनाराम सैनी उम्र 53 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

2. रणजीत पुत्र श्री जैलाराम सैनी उम्र 30 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)



नाम विक्रेता :-

कृष्णा देवी पत्नी श्री मन्मथलाल सैनी उम्र 42 साल जाति माला  
निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर  
(राज.)

नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील  
नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र  
श्री रूड़मल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर,  
भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल  
सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी  
मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

3. दस्तावेज की किस्म : विक्रय-पत्र

4. मालियत : 4,00,000/-

5. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के  
पट्टा संख्या 528 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1598 वर्गगज



हरलाल सैनी  
अध्यक्ष

*(Handwritten signature)*

शामिल रहे। -

नम्बर रसीद संख्या.....

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

- (प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)
1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम श्रीमति सुखविधि
2. लेख्य-पत्र की क्रम ४१० ममका लेख्य पत्र सं. १५४
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई मनी ११० मा.पुरा
4. प्रतिफल की रकम
- | क. फीस रजिस्ट्री :  | रुपये  | पैसे     |
|---|--------|----------|
| (1) साधारण फीस रजिस्ट्री  | ५०१३८० | ४०२०     |
| (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस  |        | ३००      |
| (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस   |        | ३२०      |
| ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस   |        |          |
| ग. विविध फीस :  |        |          |
| (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस  |        |          |
| (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस   |        |          |
| (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस |        | ६३७१०    |
| (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता   |        |          |
| (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस  |        |          |
| (6) संरक्षण फीस   |        |          |
| (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस                                     |        | अरे २०१० |
| (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस  |        |          |
| (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)                                     |        |          |

योग फीस ६७००

फीस के प्राप्त होने की तारीख ३१/१२/१५

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सम्पन्न करने के हस्ताक्षर जोर तौटाके

जाने या पाने की तारीख ३१/१२/१५

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

उप पंजीयक  
मीमकाधाना (सीकर)



विक्रय-पत्र

145649

भूखण्ड का मूल्य : 5,85,000/-

स्टाम्प = 20000 X 1 = 20000/-

= 500 X 2 = 1000/-

टिकिट = 5000 X 1 = 5000/-

योग = 26000/-

नाम विक्रेता :-

प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुड़मल यादव उम्र 66 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

नाम क्रेता :-

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुड़मल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 529 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1913 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का विक्रय किया गया है। जिसकी नाम व सीमाएँ संलग्न नक्शे में अंकित है।

2. विक्रय भूखण्ड ग्राम मानपुरा के ख.नं. 72/2/1 पैराफेरी शे. में सड़क के पीछे स्थित है।

3. विक्रय भूखण्ड मौके पर खाली है, कोई निर्माण नहीं है।

4. विक्रय भूखण्ड स्थानीय निकाय एवं सरकारी भूमि में नहीं हैं।

लगातार 2

हरलाल सैनी  
अध्यक्ष

1977  
200000

प्रमाणपत्रासो दिग्दर्शनार्थी कृषि विभाग राजिम 31-12-12

70000x12	20000
5000x12	5000
5000x22	1000
<hr/>	
26000	

31-12-12

प्रमाण खण्डेलावाले  
स्टाम्प वेण्डर  
RJ/89 नीमकाथाना

31.12.12 11:30pm  
सोमवार  
पञ्चदशाल प्रमाणपत्रासो दिग्दर्शनार्थी कृषि विभाग राजिम 66  
3 बर  
कृषि विभाग

प्रमाणपत्रासो दिग्दर्शनार्थी कृषि विभाग राजिम

प्रमाणपत्रासो दिग्दर्शनार्थी कृषि विभाग राजिम	5870	300
कृषि विभाग राजिम	300	सर. 2440
कृषि विभाग राजिम	3340	12750
कृषि विभाग राजिम	R 38	31/12/12
कृषि विभाग राजिम	3741	

प्रमाणपत्रासो दिग्दर्शनार्थी कृषि विभाग राजिम  
कृषि विभाग राजिम  
कृषि विभाग राजिम  
कृषि विभाग राजिम  
कृषि विभाग राजिम  
कृषि विभाग राजिम  
कृषि विभाग राजिम  
कृषि विभाग राजिम



प्रमाणपत्रासो दिग्दर्शनार्थी कृषि विभाग राजिम





राजस्थान RAJASTHAN

B 484107

5. विक्रय भूखण्ड शिक्षण संस्थान प्रयोजनाथ है।

6. फोटो कॉपी पट्टा, नजरी नक्शा, घोषणा पत्र, फोटो संलग्न हैं।

**विशद विवरण :** मैं प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव जाति अहीर निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) का रहने वाला हूँ नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 529 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1913 वर्गगज शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भूखण्ड का पट्टा मुझ विक्रेता के नाम से है। जिस पर मैं विक्रेता मालिक काबिज हूँ। मैंने मेरे उक्त भूखण्ड पट्टा का पंजीयन दिनांक 10.06.2008 पुस्तक संख्या 1, भाग 225 के पृष्ठ नं. 30, क्रमांक 1535 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 221, पृष्ठ संख्या 74 से 75 पर चस्पा किया गया इस प्रकार उक्त पट्टा भूखण्ड की मैं विक्रेता मात्र मालिक काबिज हूँ। उक्त पट्टा भूखण्ड को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण अधिकार है। मुझ विक्रेता को पारिवारिक कार्यवश रूपयो की आवश्यकता होने के कारण मैंने मेरे उपरोक्त वर्णित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1913 वर्गगज का विक्रय उपरोक्त क्रेता संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रुडमल यादव जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) से कीमत राशि 5,85,000/- रुपये अंकेही पांच लाख पिचासी हजार रुपये नगद प्राप्त करके विक्रय कर दिया है। कब्जा मौके पर उपरोक्त क्रेता का भूखण्ड पर करा दिया है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के जो अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार क्रेता को प्राप्त हो चुके हैं। विक्रय भूखण्ड सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त हैं, कोई भार बाकी नहीं है। अब

लगातार 3

*(Signature)*  
सचिव

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान  
पाटन रोड़, मानपुरा, नीमकाथाना  
जिला सीकर (राज.) 332713

हरलाल सैनी  
अध्यक्ष

संत राधा रमण शिक्षण संस्थान  
जिला सीकर (राज.)

1977 दिनांक 31-12-12  
5000

20000x12=200000  
5000x12 50000  
5000x22 100000  
260000

df  
31-12-12


सताश खण्डेलावाल  
स्टाम्प वेण्डर  
जा. नं. RJ/89 नीमकाथाना

जिला मजिस्ट्रेट करता है कि (1) को जलामुक्ति  
जिला मजिस्ट्रेट उम्र 53 जात माली  
जिल्ला मजिस्ट्रेट मानपुरा तथा (2)  
की रजिस्ट्रार जिल्ला मजिस्ट्रेट 30  
जाति माली मानपुरा  
हे पहचान करे  
बाबा स्वयं नही

धतः अन्वयितानुसार लिखे गये।

एक संवीकृत वीस का वारक

जलामुक्ति



Re  
2013



31-12-12  
जिला मजिस्ट्रेट पुस्तक सं. 1  
कॉ. 339 के पृष्ठ सं. 68 उम्र सं. 6292  
एक संवीकृत वीस, जिला मजिस्ट्रेट पुस्तक  
सं. 1 / जिल्हा सं. 335 पृष्ठ सं. 208-211  
एक संवीकृत वीस का वारक




राजस्थान RAJASTHAN

11311

B 484109

इस विक्रय किये गये भूखण्ड पर मुझ विक्रेता एवं मेरे वारिसान का कोई हक उज्र नहीं रहा तथा भविष्य में भी नहीं होगा। क्रेता उक्त भूखण्ड अपने नाम पट्टा अमल अपने नाम करावे, रहन करे, विक्रय करे, निर्माण करावे, अपने शिक्षण संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति के उपयोग-उपभोग में लेवे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि इस विक्रय भूखण्ड का विक्रय के कारण कोई विवाद पैदा हो जावे, उपरोक्त भूखण्ड क्रेता के अधिकार से निकल जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी। विवाद की स्थिति में दिनांक 03.06.2008 पट्टा निर्णायक रहेगा। भूखण्ड का नजरी नक्शा इस प्रकार है :-

सोनाराम सैनी की कृषि भूमि



सोनाराम सैनी का प्लॉट

*(Signature)*  
*(Signature)*  
 संत राधा रमण शिक्षण संस्थान  
 पाटन रोड, मानपुरा, नीमकाथाना  
 जिला सीकर (राज.) 332713

लगातार 4  
 ६२८९७  
 अध्यक्ष  
 संत राधा रमण शिक्षण संस्थान  
 पाटन रोड, मानपुरा, नीमकाथाना  
 जिला सीकर (राज.) 332713

1977 दिनांक 31-12-12  
500

20000x12 20000  
5000x6 5000  
500x22 1000  
26000

29  
31-12-12

सताश खण्डेलावाल  
स्टाम्प वेण्डर  
ला. नं. RJ/89 नीमकाथाना



1/4/11

अतः यह आवासीय भूखण्ड का विक्रय पत्र मैंने पूर्ण होश हवास से बिना किसी नशा पता के सोच समझ कर पढ़ा सुना जाकर विक्रय राशि सम्पूर्ण नगद प्राप्त करके गवाहान की मौजूदगी में लिख दिया है। जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक : 31.12.2012

यह लेख मेरे द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया गया है।

स्थान : नीमकाथाना  
हस्ताक्षर क्रेता

(हस्ताक्षर तैयारकर्ता)

31/12/2012

हस्ताक्षर विक्रेता



हस्ताक्षर क्रेता

सचिव  
संत राम रमण शिखर संस्थान

हस्ताक्षर विक्रेता

संत राम रमण शिखर संस्थान  
प्रा.सं. 1/2012  
जिला सीकर रा.सं. 332713

हस्ताक्षर गवाहान:

1. जैलाराम सैनी पुत्र श्री सोनारायण सैनी उम्र 53 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)
2. रणजीत पुत्र श्री जैलाराम सैनी उम्र 30 साल जाति माली निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)



उप पंजीयक  
नीमकाथाना (सीकर)


नाम विक्रेता :- प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रूडमल यादव उम्र 66 साल जाति अहीर निवासी मानपुरा तन नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

नाम क्रेता :- संत राधा रमण शिक्षण संस्थान, पाटन रोड़, मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) जरिये सचिव प्रभुदयाल यादव पुत्र श्री रूडमल यादव उम्र 66 साल जाति यादव निवासी रामनगर, भूदोली रोड़, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.), अध्यक्ष हरलाल सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी उम्र 45 साल जाति माली निवासी मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

3. दस्तावेज की किस्म : विक्रय-पत्र

4. मालियत : 5,85,000/-

5. विक्रय किये गये भूखण्ड का विवरण :- नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के पट्टा संख्या 529 दिनांक 03.06.2008 द्वारा जारी पट्टा जिसका कुल क्षेत्रफल 1913 वर्गगज



हरलाल सैनी  
अध्यक्ष

नम्बर रसीद

838/2741

(वह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम सुदामा लाल
  2. लेख्य-पत्र की किस्म गो. रजिस्ट्रार का अर्थ
  3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई रजिस्ट्रार
  4. प्रतिफल की रकम
- | क. फीस रजिस्ट्री :  | रुपये | पैसे |
|---|-------|------|
| (1) साधारण फीस रजिस्ट्री  | 58    | 70   |
| (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस  | 3     | 00   |
| (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस   | 3     | 00   |
| ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस   |       |      |
| ग. विविध फीस :  |       |      |
| (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस  |       |      |
| (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस   |       |      |
| (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस | 4/5   | 3340 |
| (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता   |       |      |
| (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस  |       |      |
| (6) संरक्षण फीस   |       |      |
| (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस                                     | सुर.  | 2940 |
| (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस  |       |      |
| (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)                                     |       |      |

कुल प्राप्त फीस 12750

फीस के प्राप्त होने की तारीख 31/12/22  
लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश संपूर्ण पत्र के हस्ताक्षर और जोटाये जाने या पाने की तारीख 31/12/22

उप पंजीयक  
रजिस्ट्री करने वाले अप्रार के हस्ताक्षर  
श्री. मथाना (सीकर)



कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर

भू आवंटन पत्र

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) के तहत पुनः आवंटन)

क्रमांक 527

भूखण्डधारी का नाम

पति/पिता का नाम

पता

भूखण्ड संख्या

योजना का नाम

सहकारी समीति का नाम

जोन संख्या

श्री सोनाराम

श्री चन्द्राराम सेनी

ग्राम-मानपुरा, तन नीमोड, जिला-नीमकाथाना (सीकर)

ख-न- 72/21 पैराफरी क्षेत्र

क्षेत्रफल

2492 वर्ग गज

क्रि.सं. संस्थान प्रणाली

4 पैराफरी क्षेत्र

वार्ड संख्या

नगरपालिका, नीमकाथाना

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्राप्ती को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमनदर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5%/5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोड़ने होंगे एवं पालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आचार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच. डी. एफ. सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटन द्वारा सम्बन्धित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार/नगरपालिका के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटन द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जान अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है:-

भूखण्ड की लम्बाई X चौड़ाई

242.6' X 92.6' = 2492 वर्ग गज

सामने ( - )

पीछे ( - )

साइड ( - )

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई

नियमानुसार 12 मीटर

तैयार कर्ता लिपिक

के हस्ताक्षर

कनिष्ठ अभियन्ता

नगरपालिका, नीमकाथाना

क्रमांक : भूमि / /

अधिसूचना अधिकारी

नगरपालिका, नीमकाथाना (सीकर)

नगरपालिका, नीमकाथाना





कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर

भू आवंटन पत्र

(प्रतिस्थापन भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) के तहत पुनः आवंटन)

क्रमांक

भूखण्डधारी का नाम

पति/पत्नी का नाम

पता

भूखण्ड संख्या

योजना का नाम

सहकारी समीति का नाम

जोन संख्या

श्रीमति कृष्णा देवी

श्री मन्मदन लाल सेन

ग्राम-मानपुर तनु नीमोद त. नीमकाथाना (सीकर)

ख-नं. 13 में स्थित (फारफ्री)

क्षेत्रफल

1598 वर्ग

शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ

पैरोफरी 45

वार्ड संख्या

नगरपालिका, नीमकाथाना.

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्राप्ती को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमनदर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5%/5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोड़ने होंगे एवं पालिका के डिप्टी कमिश्नर बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच. डी. एफ. सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटन द्वारा सम्बन्धित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार/नगरपालिका के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटन द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जान अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है-

भूखण्ड की लम्बाई x चौड़ाई  $242.6' \times 59.3' = 1598$  वर्ग

सामने ( — )

पीछे ( — )

साइड ( — )

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई

निपमतुषार  
12 मी.

21/6/08

तैयार कर्ता लिपिक:

के हस्ताक्षर

36  
कनिष्ठ अभियन्ता, 2008

नगरपालिका, नीमकाथाना

अधिसाकी अधिकारी

नगरपालिका, नीमकाथाना

क्रमांक : भुनि / /



कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना जिला सीकर

भू आवंटन पत्र

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी) के तहत पुनः आवंटन)

क्रमांक 529

भूखण्डधारी का नाम

श्री प्रभुदयाल यादव

पति/पिता का नाम

श्री कदमल यादव

पता

ग्राम-मानपुरा तहसीला नीमकाथाना (सीकर) क्षेत्रफल

भूखण्ड संख्या

242.6' x 71' में स्थित (फ्लॉरी)

1913 वर्ग

योजना का नाम

शिक्षण सहयान प्रयोजनाप

सहकारी समीति का नाम

जोन संख्या

पैरोकेरी क्षेत्र

वार्ड संख्या

नगरपालिका, नीमकाथाना

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्राप्ती को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमनदर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5%/5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोतरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेंट बैंक छोड़ने होंगे एवं पालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच. डी. एफ. सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटनी द्वारा सम्बन्धित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार/नगरपालिका के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों/निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्राप्ती के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्राप्ती का कब्जा विविताद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटनी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जान अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है-

भूखण्ड की लम्बाई X चौड़ाई

242.6' x 71' = 1913 वर्ग

सामने ( — )

पीछे ( — )

साइड ( — )

अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य

भवन की अधिकतम स्वीकार्य उंचाई

नियम अनुसार 12 मी.

3/10/08

तैयार कर्ता लिपिक:

के हस्ताक्षर

3/6/2008

कनिष्ठ अभियन्ता,

नगरपालिका, नीमकाथाना

अधिका

अधिका

नगर पालिका, नीमकाथाना (सीकर)

अध्यक्ष

अध्यक्ष

नगर पालिका, नीमकाथाना

क्रमांक : भूमि / /